रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20062024-254829
CG-DL-E-20062024-254829

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 315] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 20, 2024/ज्येष्ठ 30, 1946
No. 315] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 20, 2024/JYAISHTHA 30, 1946

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जून, 2024

सा.का.नि. 338(अ).—केन्दीय सरकार, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 55 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 में और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: -

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विशेष आर्थिक जोन (चौथा संशोधन) नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

2. विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 में, नियम 18 के उप नियम (4) के खंड (घ) में, दूसरे परंतुक के स्थान पर निम्लिखित परंतुक को रखा जाएगा, अर्थात:-

परंतु यह और कि पुनर्नुकूलन, मरम्मत और पुन: इंजीनियरी को इस शर्त के अधीन अनुज्ञात किया जा सकता है कि निर्यात का आयातों के साथ प्रत्येक के लिए अलग-अलग सहसंबंध होगा और सभी पुनर्नुकूलित या मरम्मत या पुन: इंजीनियरी किए गए उत्पादों का निर्यात किया जाएगा:

परंतु यह भी कि पुनर्नुकूलन, मरम्मत या पुन: इंजीनियरी से उत्पन्न केवल अपरिसंकटमय धात्विक, गैर-परिक्षेपण रूप में धातु और धातु एलॉय अपशिष्ट जिसमें कोई संदूषक नहीं है, जो परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध और सीमापर संचलन) नियम, 2016 की अनुसूची III के भाग घ में बेसल सं. ख 1010 में सूचीबद्ध है, का लागू सीमाशुल्क के संदाय पर घरेलू टैरिफ क्षेत्र में विक्रय अनुज्ञात किया जा सकता है और इसे आयात के रूप में माना जाएगा और इसे एकल आधार पर तथा सीमा शुल्क प्राधिकरण द्वारा परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध और सीमापार संचलन) नियम 2016 की अनुसूची V II में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों के सत्यापन के अध्यधीन राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्राधिकृत वास्तविक उपयोगकर्ताओं के उपयोग के लिए केवल वास्तविक उपयोगकर्ता या व्यापारी को अनुज्ञात किया जाएगा ।

[फ़ा. सं. के-43014(16)/22/2022-एसईजेड]

विमल आनंद, संयुक्त सचिव

टिप्पण :मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में *अधिसूचना* संख्यांक सा.का.नि. 54 (अ), तारीख 10 फरवरी, 2006 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 314(अ), तारीख 6 जून, 2024 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th June, 2024

G.S.R. 338(E).—In exercise of the powers conferred by section 55 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Special Economic Zones Rules, 2006, namely: -

1. (1) These rules may be called the Special Economic Zones (Fourth Amendment) Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Special Economic Zones Rules, 2006, in rule 18, in sub-rule (4), in clause (d), for second proviso, the following provisos shall be substituted, namely: -

"Provided further that reconditioning, repair and re-engineering may be permitted subject to the conditions that export shall have one to one correlation with imports and all the reconditioned or repaired or re-engineered products shall be exported:

Provided also that only non-hazardous metal and metal-alloy wastes in metallic, non-dispersible form having no contaminants enlisted against Basel No. B1010 in Part D of Schedule III of the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 generated from the reconditioning, repair or re-engineering, may be allowed to be sold in the Domestic Tariff Area on payment of applicable customs duty and this shall be treated as import and will be permitted only to the actual user or to the trader for use of the actual users authorized by the State Pollution Control Board on one-time basis and subject to verification of documents specified in Schedule VIII of the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 by the Custom Authority".

[F. No. K.43014(16)/22/2022-SEZ]

VIMAL ANAND, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R. 54(E), dated the 10th February, 2006 and lastly amended *vide* notification number G.S.R. 314 (E), dated the 6th June, 2024.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2024.06.20 21:52:24 +05'30'